

झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 01/06/16

संख्या-1/पी0-108/2014 का0- 4621 / विभागीय अधिसूचना संख्या-
1/पी0-108/2014 का-4548 दिनांक 30.05.2016, जिसके द्वारा श्री शशि रंजन, भा.प्र.से.
(झा:2013) को अनुमण्डल पदाधिकारी, चास, बोकारो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया
गया है, के क्रम में उन्हें चास अनुमण्डल, बोकारो के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2,
1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

30/05/16

(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-1/पी0-108/2014 का0 - 4621 / राँची, दिनांक 01/06/16

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों
में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई
दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री
सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय,
झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्सद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन
संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल
हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी
विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड,
राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/
भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के
सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/05/16

सरकार के अवर सचिव।